1942 के अगस्त क्रांति के दौरान बिहार की सामाजिक संरचना

डॉ० निखिल कुमार सिंह*

22 मार्च 1912 ई० को बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बना। राजनीतिक कूटनीति, संघर्ष, उपेक्षा और जन आंदोलन की कई कड़ियाँ इससे जुड़ी है। आजादी के लम्बे अर्से के बाद सरकारी स्तर पर बिहार के गौरव को लेकर समेकित उत्सव की शुरूआत की गई है। पूरा प्रदेश इस गौरव क्षण का साक्षी है। भौगोलिक स्तर पर जिस भू–भाग को आज बिहार कहते हैं वह भारतीय इतिहास के ज्ञान, अज्ञान, काल से ही समूचे भारत के दिशा–निर्देशन का केन्द्र रहा है। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भूगोल के निर्धारण का केन्द्र रहा है। सभ्यता का भीतर से होना इसी भू–भाग में संभव हुआ है, जिसे आज बिहार कहते हैं। यदि भारत के प्राचीन इतिहास ही अंधकारमय हो जायेगा। बड़े–बड़े इतिहासकारों ने वैज्ञानिक दृष्टि से भारत का जो इतिहास लिखा है, वह बिहार के इतिहास से ही प्रारंभ होता है। वह ऐतिहासिक युग बौद्धकाल कहलाता है, तब से लेकर डेढ़ हजार वर्ष तक बिहार की बड़ी धाक रही है। कई सम्राटों के समय तो समस्त भारत ही बिहार यानि मगध के अधीन रहा। आधुनिक भारत के इतिहास में भी बिहार का यथेष्ठ गौरव है।[1]

वर्तमान बिहार प्रदेश अंग, मगध, मिथिला और कुरूष नामक राज्यों के सम्मिश्रिण से बना हुआ है। विदेशियों के प्राचीन इतिहास में बिहार का नाम एनाकाक, परासी, मुवाद, मुलियातो तथा अंतुखोख आदि है। बौद्ध तथा जैन इसे पाली देश और सोंवीर कहते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस शब्द का प्रयोग प्रायः बिहार के संदर्भ में हुआ है। आचार्य बद्रीनाथ झा के अनुसार सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य में बिहार के कुछ भागों का उल्लेख कामाश्रम और अंगदेश के रूप में किया है। दशकुमार चरित में मगध देश और पुष्पपुरी का नाम पाया जाता है। विशाखा दत्त के मुद्राराक्षस में भी कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाठलिपुत्र की चर्चा है। भट्टसोम देव ने भी पाटलिपुत्र की चर्चा की है।[2]

1881 में पटना जिले की आबादी 17,55,416 थी, 1931 में यह 18,46,474 हो गई थी, जिसमें 9,56,124 पुरूष और 8,90,350 स्त्रियाँ थीं। इस तरह 50 वर्षों में यहाँ 91,058 आदमी अर्थात सैकड़े 5 आदमी बढ़े। जिले के अंदर एक वर्गमील में औसतन 893 आदमी रहते थे। सिटी सबडिविजन में एक वर्गमील के अंदर 3650, दानापुर सबडिविजन में 875, बाँकीपुर सबडिविजन में 861, बिहार सबडिविजन में 830 और बाढ़ सबडिविजन में 799 आदमी थे। 1921 में जिले के अंदर बाहर से आये हुए लोगों की संख्या 86,012 और बाहर गये हुए लोगों की संख्या 1,32,914 थी। 1931 में इस संबंध में गणना हुई। इस जिले में छोटे–बड़े 8 शहर थे– पटना, दानापुर, छावनी, बाढ़ बिहार, खगौल, फतुहा और मोकामा। इन शहरों की कुल जनसंख्या 2,81,937 थी। जिले में गाँवों की संख्या 2315 थी।

इस जिले की बोली मगही थी। महग या मगध के नाम इस बोली का ऐसा नाम पड़ा। 1930 के दौरान मगही में साहित्य की रचना नहीं हुई थी। बिहार की बोलियों में मैथिली या भोजपुरी बोली बोलने वाले अपनी बोलियों के लिये जैसा गौरव रखते थे वैसा गौरव मगही बोली वाले अपनी बोली के लिए नहीं रखते। पढ़े–लिखे लोग आपस में हिन्दुस्तानी बोलते और देवनागरी तथा उर्दू लिपि लिखते थे। सर्वसाधारण में कैथी लिपि का प्रचार था। जिले की जनसंख्या में 18,35,377 लोगों की मातृभाषा हिन्दुस्तानी, 6938 की बंगला, 478 की उड़िया, 289 की नेपाली, 265 की पंजाबी, 101 की अन्य भारतीय आर्य भाषाएँ, 187 की मुंडा, द्रविड़ तथा पश्तो आदि और 2637 की यूरोपियन भाषाएँ थी।[3]

इसे जिले में धर्म के हिसाब से लोगों की संख्या जिसमें हिन्दू 16,39,829, मुस्लिम 2,02,655, ईसाई 3503, सिक्ख 220, जैन 204, पारसी 26, आदिम जाति 19, बौद्ध 16 एवं अन्य धर्मावलम्बी की संख्या 2 थी। सैकड़ों का हिसाब जोड़ने से हिन्दू करीब 89 प्रतिशत और मुसलमान करीब 11 प्रतिशत थे। हिन्दू जाति में यहाँ अहीर की संख्या सबसे अधिक थी। इसके बाद क्रम से कुर्मी, दुसाध, भूमिहार, कहार, राजपूत, कोयरी, चमार, ब्राह्मण, मुसहर आदि की संख्या थी। इन सभी जातियों की संख्या 50 हजार से अधिक थी।[4]

यह जिला बौद्ध, जैन और सिक्ख धर्मों का प्रधान स्थान रहा है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मगध में ही हुई और यहीं से संसार के भिन्न–भिन्न देशों में यह धर्म फैला पर आज यहाँ इस धर्म का लोप–सा हो गया है। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले यहाँ बहुत से लोग थे। पटना, बिहार और पावापुरी उनका तीर्थ स्थान था। सिक्ख जाति को वीर सैनिक जाति बनाने वाले गुरु गोविन्द सिंह का जन्मस्थान पटना ही है। मुसलमानों के वहाबी आंदोलन का अड्डा यही जिला था

पटना में ईसाई मिशन 1620 ई० में कायम हुआ था। इस समय बाँकीपुर में अदालत के पास इनका एक धार्मिक समिति था जो दो अनाथालय चला रहा था, एक हिन्दुस्तानी ईसाईयों के लिये और दूसरा यूरोपीय ईसाइयों के लिये। यहाँ

***असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डॉ० जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय, मुजफरपुर। (बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफरपुर)**

मैट्रिक क्लास तक का एक स्कूल था। पटना में दीघाघाट के पास कुर्जी गाँव में मैट्रिक दर्जे तक का एक यूरोपियन स्कूल था। बाँकीपुर में पटना–गया रोड पर ईसाई लड़कियों के लिये एक स्कूल था। पटना सिटी के तिरपोलिया मुहल्ले में इन सब ने एक जनाना अस्पताल खोला जिसे लोग तिरपोलिया अस्पताल के नाम से जानते हैं। खगौल और दानापुर में भी ईसाइयों अड्डा था। ऊपर जो ईसाइयों की संख्या 3503 दी गई है उसमें 1176 यूरोपियन आदि, 1337 एंग्लो इंडियन और 900 भारतीय ईसाई थे।[5]

1881 में गया जिले की जनसंख्या 21,26,079 थी। 1931 में यह संख्या 23,883462 हो गई। इसमें 11,93,643 पुरुष और 11,94,819 स्त्रियाँ थीं। इन पचास वर्षों में जिले के अंदर 2,62,383 आदमी अर्थात् सैकड़े 14 आदमी बढ़े। समूचे जिला का हिसाब करने से एक वर्गमील में यहाँ 507 आदमी रहते थे। जिले की उत्तरी हिस्से की अपेक्षा दक्षिण हिस्से की आबादी कम थी। क्योंकि यह भाग पहाड़ियों और जंगलों से भरा था। जहानाबाद सबडिविजन में 474 और औरंगाबाद सबडिविजन में 428 आदमी रहते थे। 1921 में जिले के अंदर बाहर से आये हुए लोगों की संख्या 44,707 और बाहर गये हुए लोगों की संख्या 1,89,969 थी। 1931 में इस संबंध में गणना नहीं हुई थी। इस जिले में गाँवों की संख्या 6058 और शहरों की संख्या 7 थीं। गया, दाऊदनगर, जहानाबाद, नावादा, औरंगाबाद, हिसुआ और टेकारी ये शहर थे। इन शहरों की कुल आबादी 1,35,993 थी। इनमें गया शहर की आबादी 88,005 थी।

गया जिले की बोली मगही या मागधी थी। मगह या मगध देश के नाम पर यहाँ की बोली का नाम पड़ा। यह बोली पटना और गया जिले के अलावा हजारीबाग, पलामू, मुंगेर और भागलपुर के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती थी। कहते हैं कि शुद्ध मगही गया जिले में ही बोली जाती थी। मगही बोली में साहित्य नहीं थी, लेकिन इसमें ग्रामीण गीत बहुत से पाये जाते थे। सर्वसाधारण में कैथी लिपि का प्रचार था। चिट्ठी–पत्री और दस्तावेज वगैरह लोग इसी लिपि में लिखते थे। पढ़े–लिखे लोग आपस में हिन्दी–हिन्दुस्तानी भाषा बोलते और लिखते थे। पढ़े–लिखे हिन्दुओं में देवनागरी लिपि और पढ़े–लिखे हिन्दुओं में देवनागरी लिपि और पढ़े–लिखे मुसलमानों में उर्दू लिपि का प्रचार था। जिले की जनसंख्या में 23,86,852 लोगों की मातृभाषा हिन्दुस्तानी, 840 की बंगला, 129 की मारवाड़ी, 180 की अन्य भारतीय आर्य भाषाएँ, 94 की मुंडा, द्रविड़, पश्तों आदि और 367 की यूरोपियन भाषाएँ थीं।[6]

इस जिले में धर्म के हिसाब से जो लोगों की संख्या थी उनमें हिन्दू 31,33,541, मुसलमान 2,53,560, ईसाई 576, जैन 564, सिक्ख 183, बौद्ध 16,

आदिम जाति 12, पारसी 7 थे। सैकड़ों का हिसाब करने से जिले के अंदर हिन्दू 89 प्रतिशत से कुछ अधिक और मुसलमान 10 प्रतिशत से कुछ अधिक थे। हिन्दू जाति में यहाँ सबसे अधिक अहीर थे जो करीब पौने चार लाख की संख्या में थे। इसके बाद गिनती में क्रम में भूमिहार, भुईयाँ, कोयरी, दुसाध, राजपूत, कहार और चमार लोग थे जो एक लाख से अधिक थे। जोलाहा, ब्राह्मण, मुसहर, तेली, पासी और रजवार भी पचास हजार से अधिक की संख्या में थे और जातियों की संख्या कम थी।[7]

दक्षिण बिहार में मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या गया जिले में ही थी। जिले के उत्तर पश्चिम भाग में बहुत दिनों तक मुसलमानों का दबदबा था। जगह–जगह बहुत से मुसलमान जमींदार थे। यहाँ औरंगजेब के एक सेनापति दाऊद खाँ का अधिकार था जिसने दाऊदनगर को बसाया। कहते हैं कि औरंगजेब के समय इस भाग में बहुत से हिन्दू मुसलमान बनाये गये थे। बहुत से ऐसे गाँव थे जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी। कहा जाता है कि इनमें कुछ गाँवों के लोग शुरु में भूमिहार या कायस्थ थे। जिले के अधिकांश मुसलमान सुन्नी थे। सिया लोगों की संख्या बहुत कम थी।[8]

जिले में इस समय तीन ईसाई मिशनरी सोसाइटियाँ काम कर रही थीं। पहली सोसाईटी का काम 1882 ई० में शुरू हुआ था। दूसरी सोसाईटी सन् 1891 और तीसरी सोसाईटी सन् 1903 में कायम हुई थी। 576 ईसाईयों में से 65 यूरोपियन, 305 एंग्लों इंडियन और 206 भारतीय ईसाई थे।

1881 में शाहाबाद जिले की जनसंख्या 19,47,118 थी। 1931 में यह संख्या 19,93,489 हो गई थी। इसमें 9,99,099 पुरुष और 9,94,390 स्त्रियाँ थी। इन पचास वर्षों के अंदर जिले में 46,371 आदमी अर्थात् सैकड़े 2 आदमी बढ़े। समूचे जिले का हिसाब करने से एक वर्गमील में यहाँ 456 आदमी रहते थे। जिले के उत्तरीय हिस्से में जो समतल भूमि थी और जहाँ खेती खूब होती थी, आबादी बहुत घनी थी। लेकिन दक्षिण के जंगली और पहाड़ी भाग में आबादी बहुत कम थी। सदर सबडिविजन में एक वर्गमील के अंदर औसतन 767 आदमी, बक्सर सबडिविजन मे 559 आदमी रहते थे। 1921 में जिले के अंदर बाहर से आये हुए लोगों की संख्या 49,318 और बाहर गये हुए लोगों की संख्या 1,48,353 थी। 1931 में इस संबंध में गणना नहीं हुई थी। इस जिले में गाँवों की संख्या 4735 और शहरों की संख्या 6 थी। आरा, सासाराम, बक्सर, भभुआ, डुमराँव और जगदीशपुर ये शहर थे। इन शहरों की कुल आबादी 18,75,859 थी।[9]

इस जिले की बोली भोजपुरी थी। किसी जमाने में भोजपुर ही जिले का केन्द्र था। इसी से जिले की बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। यह बोली थोड़ी बहुत

भिन्नता के साथ बिहार के सारण, चम्पारण और कुछ पलामू जिले में तथा संयुक्त प्रांत के भी कई जिलों में बोली जाती थी। इस बोली में साहित्य की रचना नहीं हुई थी। लेकिन इसमें देहाती गानों की छोटी–छोटी किताबें बहुत सी छपी थीं। देहातों में हिन्दू, मुसलमानों दोनों के अंदर कैथी लिपि का प्रचार था। नये पढ़े–लिखे हिन्दू देवनागरी लिपि और मुसलमान उर्दू लिपि लिखते थे। पढ़े–लिखे लोगों की भाषा हिन्दी–हिन्दुस्तानी थी। भोजपुर भाषा–भाषियों को अपनी भाषा या बोली का बहुत गौरव था। काफी पढ़े–लिखे लोग भी आपस में भोजपुरी बोली बोलते थे। जिले की जनसंख्या में 19,91,826 लोगों की मातृभाषा हिन्दुस्तानी, 618 की बंगला, 100 की मारवाड़ी, 120 की अन्य भारतीय आर्य भाषाएँ, 588 की ओराँव, 74 की पश्तो, मुंडा तथा विभिन्न द्रविड़ भाषाएँ और 162 की अंग्रेजी थी।

इस जिले में धर्म के हिसाब से लोगों की संख्य में हिन्दू 18,38,862, मुसलमान 1,51,368, ईसाई 2335, पारसी 4, जैन 512, सिक्ख 397, बौद्ध 11 थे। सैकड़े का हिसाब जोड़ने से हिन्दू 92 प्रतिशत से कुछ अधिक और मुसलमान 7 प्रतिशत से कुछ अधिक थे। यह एक आश्चर्य की बात है कि शुरू में शहाबाद जिला मुसलमानों का अड्डा होते हुए भी यहाँ वे लोग अपेक्षाकृत बहुत कम थे। इतने कम मुसलमान बिहार के और किसी जिले में नहीं थे। इस जिले के बहुत से मुसलमान, खासकर चैनपुर इलाके के मुसलमान, हिन्दुओं के रीति–रिवाह ही रखते थे। मुसलमान सबसे अधिक सासाराम में थे। यहाँ सैकड़े करीब 40 वे ही लोग थे।[10]

इस जिले में जो 2335 ईसाई थे, उनमें 19 यूरोपियन आदि, 159 एंग्लो इंडियन और 2157 भारतीय ईसाई थे। आरा, बक्सर, डेहरी और भभुआ में पाश्चात्य देशों के कुछ ईसाईयों ने अपना अड्डा जमा रखा था और वे अपना प्रचार किया करते थे। आरा और भभुआ में इनके स्कूल भी थे। सासाराम के अग्रहरी लोग सिक्ख थे। इनके दो भेद थे। एक सिंह अग्रहरी दूसरे मुनरिया अग्रहरी। सिंह अग्रहरी अपने को गुरू गोविन्द सिंह के अनुयायी बताते हैं और केश, कंधा, कड़ा, कच्छ और कृपाण धारण करते थे। इनकी संख्या अधिक थी। मुनरिया अग्रहरी अपने को गुरूनानक का अनुयायी कहते थे। वे केश कटाते तथा कड़ा, कृपाण आदि नहीं धारण करते थे।

हिन्दुओं और उनकी जातिगत भावनाओं के सम्पर्क में रहने वाले मुसलमान इन धार्मिक रूढ़ियों की बात भली–भाँति समझते हैं। वे ऐसी बातों का विरोध नहीं करते। कारण वे जानते हैं कि ऐसी रूढ़ियाँ किसी हीनता अथवा उच्चता की भावना के वशीभूत होकर व्यवहृत नहीं होती अपितु पुरातनकाल से प्रथा के रूप में चलती आ रही है इसलिए अब भी व्यवहृत हो रही है। इसी कारण वे हिन्दुओं के यहाँ विवाह और जन्म आदि के उत्सव के समय आमंत्रित होने पर उसमें प्रसन्नतापूर्वक

सम्मिलित होते हैं और यही हाल मुसलमानों के यहाँ है। ऐसे अवसरों पर आमंत्रित होने पर हिन्दू भी उनके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होते हैं। स्वतंत्र और मैत्रीपूर्ण सामाजिक संबंध के मार्ग में भोजन कभी भी बाधक नहीं हुआ है। हिन्दू और मुसलमान एक–दूसरे की जातिगत भावनाओं का आदर करते हुए भी एक दूसरे को खिलाते–पिलाते रहे हैं।

संदर्भ–सूचीः–

1. आर.एन. खन्ना, गांधी फाइट फॉर फ्रीडम, 1942, लाहौर, 1944.
2. एस.सी. भूइयान, द क्वीट इंडिया मूवमेंट, द सेकेण्ड वर्ल्ड वार एंड इंडियन नेशनलिज्म, दिल्ली, 1975.
3. वही.
4. ए० प्रसाद, इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1942, दिल्ली, 1958.
5. वही
6. टी०एस०, चक्रवर्ती, इंडिया इन रिवोल्ट, कलकत्ता, 1946.
7. दरबारा सिंह, इंडियन स्ट्रगल 1942, लाहौर, 1947.
8. वही.
9. वही.
10. बलदेव नारायण, अगस्त क्रांति, पटना, 2012.